

170.



राजस्वभंडार ग्वाडियर केम्प

माननीय न्यायालय अपर जिला देवास संभाग उज्जैन : मध्य प्रदेश :

27-4-12

प्रकरण क्रमांक. निगरानी। २०११-१२.

R-1134-PBP/12

प्रभाषी/अभिभाषक अ. नं० ५०६-प्र.नं०
श्री. प्र. नं०
दिनांक 11-4-12
संयुक्त न्यायालय
उज्जैन संभाग

- १- मूषेन्द्र वात्सव स्व० सदाशिवचन्द्र व्यास
 - २- महेन्द्र उर्फ संजय वात्सव स्व० सदाशिवचन्द्र व्यास
- सम्मत निवासीगण ग्राम टोक कुर्त तहसील टोककुर्त
जिला देवास : ५०५० : कृष्णक ग्राम मौलगा तहसील
तराना जिला उज्जैन : ५०५० :

---रीविजनकर्ता

138
11/4/2012

विरुद्ध.

- १- रामबाबु पिता स्व० शंकरलाल जी जोशी.
 - २- कमलकिशोर पिता स्व० शंकरलाल जी जोशी.
 - ३- श्रीमती शकुन्तलादेवी पति स्व० शंकरलाल जी जोशी
 - ४- ओमप्रकाश वात्सव स्व० नन्दकिशोर जी जोशी.
 - ५- धर्मिन्द्र वात्सव स्व० नन्दकिशोर जी जोशी.
 - ६- राजेन्द्र वात्सव स्व० नन्दकिशोर जी जोशी.
 - ७- बाबूलाल वात्सव स्व० नन्दकिशोर जी जोशी.
- समी निवासीगण ग्राम मौलगा तहसील तराना जिला
उज्जैन : ५०५० :

--- अनावेदकगण.

रीविजन अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता
१९५६.

विवादित आदेश :- माननीय अधिसूच्य न्यायालय अपर
क्लेक्टर महीदय जिला उज्जैन : ५०५० : द्वारा उक्त समझ
प्रस्तुत निगरानी प्रकरण क्रमांक १६। निगरानी। ११-१२ में
पारित अन्तिम आदेश दिनांक २१।३।२०१२ .

11/4/12
9-4-12
C-क. २२५११
Advocate

3



XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1134-पीबीआर/12

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	